

किरायेदारी (लीज डीड)

मासिक किराया -	3,000/- रु०
वार्षिक किराया -	36,000/- रु०
मालियत मुवलिग -	2,16,000/- रु०
देय स्टाम्प मुवलिग -	4,320/- रु०
मियाद -	30 वर्ष (तीस वर्ष)
प्रयोजन -	शैक्षणिक कार्य हेतु।

शहीद कैप्टन विजय प्रताप सिंह महाविद्यालय आवाजापुर बजरिए प्रबंधक
जयप्रकाश सिंह पुत्र स्व० त्रिलोक सिंह निवासी ग्राम- आवाजापुर, परगना-
महाईच, तहसील- सकलडीहा, जिला- चन्दौली व हीरा सिंह कालेज आफ
एजुकेशन आवाजापुर, तहसील- सकलडीहा, जिला- चन्दौली अन्डर कन्ट्रोल
बजरिए अध्यक्ष जयप्रकाश सिंह पुत्र स्व० त्रिलोक सिंह जयप्रकाश चैरिटेबुल
ट्रस्ट 18/20 स्टैनली रोड, इलाहानाद। मो०न०- 9838936060

.....प्रथम पक्षगण

शहीद कैप्टन विजय प्रताप सिंह महाविद्यालय
आवाजापुर
30/6/22

श्री २१ सिंह कालिदास अफि. ए. ए. ए. ए.
आवाजापुर/परगना
30/6/22

Jai Prakash Charitable Trust
Authorised Signatory
30/6/22

जय प्रकाश चैरिटेबुल ट्रस्ट
आवाजापुर/परगना
30/6/22

(3)

एवं


जयप्रकाश चैरिटेबुल ट्रस्ट 65 डी/2 दयानन्द मार्ग प्रयागराज बजरिए
प्रबन्धक जयप्रकाश सिंह पुत्र स्व० त्रिलोक सिंह निवासी ग्राम- आवाजापुर,
परगना- महाईच, तहसील- सकलडीहा, जिला- चन्दौली।

मो०न०-9838936060


.....द्वितीय पक्ष

विदित हो कि भूमि एवं भवन निम्नांकित जिसका विस्तृत विवरण
इस लेखपत्र के अन्त में चौहद्दी सहित दी गयी है, के हम प्रथम पक्षगण
मालिक व काबिजा दखिल हैं, जिससे अन्य किसी व्यक्ति से कोई वास्ता
सरोकार नहीं है। तथा सड़क किनारे तथा आवादी के निकट एवं पूर्ण रूपेण
आवादी है, जिसके बाबत हम प्रथमपक्ष गण को हर प्रकार का मालिकाना हक
हासिल है, चूंकि द्वितीय पक्ष को वास्ते शैक्षणिक कार्य के लिए हम
प्रथमपक्षगण की निम्न वर्णित भूमि व भवन को किराये पर लेने की मांग की,
द्वितीय पक्ष के आग्रह पर हम प्रथम पक्षगण ने अपनी निम्न वर्णित भूमि एवं
भवन को किराये पर देने के लिए तैयार हो गये जिसकी शर्तें निम्न प्रकार
है:-

जय प्रकाश चैरिटेबुल ट्रस्ट का निम्न लिखित अधिकारी


अध्यक्ष/प्रबन्धक


श्रीम. सिंह कालेज ऑफ एजुकेशन


अध्यक्ष/प्रबन्धक

Shri Prakash Chaurasiya Trust


अध्यक्ष/प्रबन्धक

जय प्रकाश चैरिटेबुल ट्रस्ट


अध्यक्ष/प्रबन्धक

आवेदन सं०- 202200992003877

पट्टा अनुबंध विलेख

पृष्ठ सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 3186

वर्ष: 2022

अंशक- 216000 स्टाम्प शुल्क- 4320 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 2160 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 नोग 2220



श्री लक्ष्मण कन्निरपे प्रबंधक,
पुत्र श्री स्व० त्रिलोक सिंह
व्यवसाय - कृषि
निवासी - ग्राम आवाजापुर परगना महाईच तहसील सकलडीहा जिला चन्दौली



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 30/06/2022 एवं 02:30:24 PM बजे
निम्नलिखित हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


आशा सिंह प्र०
उप निबंधक, सकलडीहा
चंदौली
30/06/2022

वीरन्द्र कुमार,
निबंधक लिपिक
30/06/2022

प्रिंट करे

(4)


1. यह कि हम उभय पक्षों के बीच किराया शुदा भूमि एवं भवन का वार्षिक किराया 36,000/- छत्तीस हजार रुपये में तय व पोखता हुआ है।
2. यह कि उपरोक्त द्वितीय पक्ष किराया शुदा भूमि एवं भवन पर बतौर किरायेदार रहकर उसमें अपनी शैक्षणिक कार्य सुचारु रूप से करेगा। और प्रति वर्ष का किराया 36,000/- छत्तीस हजार रुपये हम प्रथम पक्षगण को अदा करता रहेगा और उसकी रसीद हासिल करता रहेगा।
3. यह कि किरायेदारी 30 वर्ष तक के लिए की जा रही है, जो दिनांक 30/06/2022 ई0 से प्रारम्भ होकर दिनांक 29/06/2052 ई0 तक चलती रहेगी।
4. यह कि उपरोक्त किराया शुदा भूमि एवं भवन हर प्रकार से ऋण भार आदि से बंधित तथा मुक्त है।
5. यह कि द्वितीय पक्ष किराया शुदा भूमि एवं भवन के साफ- सफाई तथा रंगाई- पोताई आदि का खर्च स्वयं अपने पैसे से करेगा।

जय प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट का निदेशक


अध्यक्ष/प्रबन्धक




जय प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट का निदेशक


अध्यक्ष/प्रबन्धक




Jai Prakash Charitable Trust


Authorised Signatory



जय प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट


अध्यक्ष/प्रबन्धक

आवेदन सं०- 202200992003877



बही सं० 1

रजिस्ट्रेशन सं०- 3186

वर्ष 2022

निष्पादन लेखपत्र खाद सुनने व समझने मजबुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

पट्टा दाता: 1


श्री शहीद के.एन विजय प्रताप सिंह महाविद्यालय आवाजापुर
बजरिये प्रबंधक जयप्रकाश सिंह, पुत्र श्री स्व० त्रिलोक सिंह
निवासी: ग्राम आवाजापुर परगना महाईच तहसील सकलडीहा
जिला चन्दौली
व्यवसाय: कृषि
पट्टा दाता: 1



श्री त्रिसा सिंह कालेज आफ एजुकेशन आवाजापुर अन्डर
कन्ट्रोल बजरिये अध्याक्ष जयप्रकाश सिंह, पुत्र श्री स्व० त्रिलोक
सिंह
निवासी: जयप्रकाश चेरिटेबुल ट्रस्ट 18/20 स्टैनली रोड
इलाहाबाद
व्यवसाय: कृषि
पट्टा गृहीता: 1



श्री जयप्रकाश बजरिये प्रबंधक, पुत्र श्री स्व० त्रिलोक सिंह
निवासी: ग्राम आवाजापुर परगना महाईच तहसील सकलडीहा
जिला चन्दौली
व्यवसाय: कृषि




(5)

6. यह कि किरायेदारी की मियाद समाप्त होने पर यह किरायेदारी स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा द्वितीय पक्ष जिस रूप में भूमि व भवन किराया पर लिया है उसी रूप में वापस कर देगा।
7. यह कि किरायेदारी लीज डीड शुदा भूमियों को जमीनदारी विनाश अधिनियम की धारा 143क अन्तर्गत गैर कृषि प्रयोजन की भूमि घोषित करा ली गयी, द्वारा वाद सं० 17 दिनांक 31-05-2013 ई० न्याय० उपजिलाधिकारी सकलडीहा, जिला चन्दौली।
8. यह कि किरायेदारी लीज डीड में नियमानुसार स्टाम्प टुल्क 4,320/- चार हजार तीन सौ बीस रु० का ई० स्टाम्प जिसका नं० IN-UP 30526519527687U जारी दिनांक 30/06/2022 ई०।
9. यह कि उभय पक्षगण अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के नहीं है।


विवरण भूमि एवं भवन किरायेदारी लीज डीड शुदा आराजी स्थित मौजा अवाजापुर, परगना- महाईच, तहसील- सकलडीहा, जिला- चन्दौली के आराजी नं० 331 रकबा 0.510 हे० व आराजी नं० 332 रकबा 0.524 हे० योग दो गाटा रकबा 1.034 हे०।

श्री जय प्रकाश चान्दाबल ट्रस्ट महाविद्यालय




अध्यक्ष/प्रबन्धक

श्री जय प्रकाश चान्दाबल ट्रस्ट



अध्यक्ष/प्रबन्धक

Jai Prakash Chantable Trust



Authorised Signatory

जय प्रकाश चान्दाबल ट्रस्ट

अध्यक्ष/प्रबन्धक

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान पहचानकर्ता : 1

श्री सुनील तिवारी, पुत्र श्री बेचू तिवारी

निवासी: ग्राम श्रीकान्तपुर परगना महाईव तहसील सकतडीहा जिला चंदौली

व्यवसाय: कृषि

पहचानकर्ता : 2

सुनील तिवारी



श्री उमेशचन्द्र, पुत्र श्री राजनाथ खरवार

निवासी: ग्राम गौसपुर परगना महाईव तहसील सकतडीहा जिला चंदौली

व्यवसाय: कृषि

उमेश चंद्र



रजिस्ट्रार अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की। प्रत्यक्ष भद्र साक्षियों के निशान अगुटे नियमानुसार लिपि मय है।
टिप्पणी: कालम 8 लागू नहीं है।



अयास सिंह प्रो
उप निबंधक, सकतडीहा
चंदौली
30/06/2022

वीरेंद्र कुमार
निबंधक लिपिक चंदौली
30/06/2022

(6)

चीहददी- पूरब- नाली बादहूं खेत दीगर शक्स,

पश्चिम- डेढ़ावल- धानापुर मार्ग,

उत्तर- आराजी नं0 333,

दक्षिण- खेत गोरखनाथ सिंह वगैरह,

अस्तु यह किरायेदारी(लीज डीड) हम प्रथम पक्षगण अपनी प्रसन्नता पूर्वक स्वस्थ व स्वतन्त्र मस्तिष्क की दशा में बिना किसी जोर दबाव के समक्ष गवाहान लिख दिये कि समय पर काम आवे व प्रमाण रहे।

हस्ताक्षर- सुनील तिवारी

साक्षी का नाम- सुनील तिवारी पुत्र बेचू तिवारी

निवासी ग्राम- श्रीकान्तापुर, परगना- महाईच,

तहसील- सकलडीहा, जिला- चन्दौली।

मो0नं0-



अध्यापक, प्रमुख
22/6/17

श्री 1/1/17
22/6/17

अध्यापक, प्रमुख
22/6/17

अध्यापक, प्रमुख

अध्यापक, प्रमुख

अध्यापक, प्रमुख

अध्यापक, प्रमुख
22/6/17

(7)


हस्ताक्षर- उमेश चन्द

साक्षी का नाम- उमेशचन्द्र पुत्र राजनाथ खरवार

निवासी ग्राम - गौसपुर, परगना- महाईच,

तहसील- सकलडीहा, जिला- चन्दीली।

मो०न०-



तहरीर तारीख- 30/06/2022 ई०

मसविदाकर्ता- सुभाष चन्द्र शर्मा ए.ए.

रजि०सं०- 6590/04 30/6/22

कम्प्यूटरीकृत टाईपकर्ता- भोला शर्मा


Handwritten signature

डॉ० विष्णु कान्हेर आर्य ए.ए.के.जे.ए.

Handwritten signature

अध्यापक/ए.ए.के.जे.ए.

Handwritten signature



जय प्रकाश के.के.के.के.के.
 Handwritten signature
 अधिकारी/प्रकाश

आवेदन सं०: 202200992003877

बही मख्या 1 विल्ट संख्या 4543 के पृष्ठ 273 से 286 तक क्रमांक
30/06/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

आशा सिंह प्र०
उप निबंधक सकलडीहा
चंदौली
30/06/2022